द्वारा प्रति: ... आवेदन ...

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखीमपुर खीरी,तहसील :मितौली
वाद संख्या :-02809/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910430702809
रामपाल सिंह यादव स्मारिक प्रा०वि० प्रबधक अजयपाल सिह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामपाल सिंह यादव स्मारक विद्यालय ककरहा प्रबंधक अजय पाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ककरहा द्वारा धारा-80 राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत योजित करते हुए यह कथन किया गया है, कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम ककरहा परगना औरंगाबाद की खतौनी वर्ष 1420-25फ0 के खाता संख्या 445 गाटा संख्या 584/0.611हे0 पर वादी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि को विद्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त गाटा पर कृषि कार्य नही हो रहा है तथा सम्पूर्ण भाग पर विद्यालय संचालित हो रहा है। उक्त भूमि पर 12 कमरे तथा दो शौचालय बने हुये हैं। विद्यालय संचालन में सम्पूर्ण भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। भूमि को आकृषिक प्राख्यापित करने का अनुरोध किया है।

प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में तहसीलदार मितौली से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार मितौली द्वारा अपनी आख्या दिनॉकित 28.06.2019 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज कागजात है। मौके पर गाटा संख्या 584/0.611हे0 अकृषिक रूप में है। जिस पर 12 कमरे व 2 शौचालय बने हुये है। सम्पूर्ण भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है तथा विद्यालय के रूप में प्रयोग हो रही है। । विवादित भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है। भूमि गाटा संख्या 584/0.611हे0 के सम्पूर्ण भाग पर विद्यालय संचालन किया जा रहा है, जिसे अकृषिक प्रख्यापित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है।

वाद पंजीकृत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में जो0च0आकार-पत्र 41-45, उद्धरण खतौनी वर्ष 1420-25फ0 खाता संख्या 445 खसरा 1425फ0 प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार मितौली की आख्यानुसार भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं हो रही है, जिसे गैर कृषि प्रयोजनार्थ विद्यालय संचालन हेतु उद्घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत वाद में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली का नियम-85(2) प्रभावी होगा। आवेदक को कृषि प्रयोजन के अतिरिक्त भूमि प्रयोग हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट, जिसका उल्लेख राजस्व निरीक्षक ने अपनी आख्या के सम्मुख पृष्ठ पर किया है, का एक प्रतिशत धनराशि सुसंगत शासकीय शीर्षक में चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा लखीमपुर मु0-11,650रू0 जमा कर दिया गया है। तहसीलदार मितौली की आख्या के आधार पर ग्राम ककरहा परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या 584/0.611हे0 को गैर कृषि प्रयोजनार्थ अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम ककरहा परगना औरंगाबाद स्थिति भूमि गाटा संख्या 584/0.611हे0 को गैर कृषि प्रयोजनार्थ अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक मितौली को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक-29.06.2019

(हस्ताक्षर) 29/6/19
उपजिलाधिकारी मितौली
जनपद-लखीमपुर खीरी।

पृष्ठ संख्या :

(मुहर: न्यायालय परगना अधिकारी खीरी मितौली)

नकल प्रार्थना पत्र की सं0 400 दिनांक 6-1-2021
नकल तैयार करने का दिनांक 6-1-2021
नकल जारी करने का दिनांक 6-1-2021
टिकट का मूल्य 10/-
शब्दों की संख्या 110

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
परगना अधिकारी
मितौली–खीरी

Scanned by TapScanner